मोहरी उर्फ मोरली V/s हनुमान व अन्य

83/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21.3.25	पत्रावली पेश। [illegible] उभयपक्ष उपस्थित, पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.3.25 को पेश हो [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
25.3.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तस्दीक तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 83 / 2023

1 श्रीमती मोहरी उर्फ मोरली उम्र 70 साल पुत्री जीवणराम पत्नी सुवाराम, जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 07 प्रेमपुरा लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल निवासी ग्राम परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 हणमान पुत्र जीवणराम जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 07 प्रेमपुरा लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
2 रूपाराम पुत्र जीवणराम जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 07 प्रेमपुरा लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
3 तहसीलदार उप तहसील लोसल जिला सीकर राज.।
4 पटवारी हल्का ग्राम लोसल पटवारी लोसल उप तहसील लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
5 उप पंजीयक महोदय लोसल जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.08.2023 बउनवानी मोहरी उर्फ मोरली बनाम हणमान आदि सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :

1. श्री नवलरतन सोनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांक– 25/8/24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 94/2023 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक आवेदन अ.धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 1064, 2309/1062, 2311/1065, 2313/1065, 2341/1065 वाके ग्राम प्रेमपुरा, लोसल का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार की अधिनियम की धारा 6 प्रथम में पुत्रियों को पुत्रों के बराबर पैतृक हक व हिस्सा दिया गया था उक्त संसोधन दिनांक 09.09.2005 से प्रभावी है उक्त संसोधन पश्चात यह स्थित स्पष्ट नहीं की इस प्रकार विचारण न्यायालय ने इस प्रकार आदेश में हवाला देकर अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने पुश्तैनी अपना 1/3 हक व हिस्से की उद्घोषणा करवाने के लिये दावा प्रस्तुत किया गया था जो अपीलान्ट का कानूनी अधिकार है अपीलान्ट पुश्तैनी हिस्से में से अपना हक व हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त कर सकती है परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन स्वीकार नहीं करके विधि की भारी भुल की है उक्त भूमियों का दीगर अन्तरण व बेचान होने से अपीलान्ट का हक व हिस्सा सदा के लिये विवाद में पड़ा रहने का अंदेशा बना हुआ है एवं आगे से आगे विवाद बढ़ने की आशंका है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन बिना किसी कारण के खारिज किया गया है जो कि न्याय संगत नहीं है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2023 को प्रसारित किये गये आदेश को निरस्त करते हुये अपीलान्ट को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

राहत प्रदान की जावें कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अपील में अपीलान्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय में जब तक दावे में न्याय निर्णय न हो तब तक के लिये अपीलान्ट की भूमि 1/3 हिस्से को किसी भी तरह से विकय, अन्तरण एवं अपीलान्ट की भूमि पर निर्माण आदि करने से बाज रहे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 212 का आवेदन लंबित है। धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 212 का आवेदन लंबित है। धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर